गौ–दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी के आदर्श उपनियम

(रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःफा.15(1)सविरा/नियम/दुग्ध उपनियम/86/पार्ट–2 दिनांक 22.01.2016 द्वारा स्वीकृत)

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान
जयपुर

क्रमांक : फा.15(1)सविरा / नियम / दुग्ध उपनियम / 86 / पार्ट–2 दिनांक 22.01.2016

संस्थागत विकास अधिकारी,
राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि.,
जयपुर।

विषयः चुनाव घोषणा–पत्र (Manifesto) की क्रियान्विति के क्रम में।
प्रसंगः आपका पत्र क्रमांकः आरसीडीएफ / आईडी / एफ.14(863) / 2015 / 33079 दिनांक 5 नवम्बर, 2015

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के साथ प्रेषित गौपालकों की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के प्रस्तावित आदर्श उपनियमों में निर्देशानुसार निम्न संशोधन अंतरित किये जाने अपेक्षित है।

उपनियम संख्या	प्रस्तावित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
2.3.1	सदस्यों से स्थाई या चालू जमाओं की राशि, ऐसी ब्याज दर और अवधि के लिये प्राप्त की जा सकेगी, जो कि प्रबन्धकारिणी के द्वारा तय की जावे, किन्तु स्थाई एवं बचत जमाओं पर दिये जाने वाले ब्याज की दर बैंको द्वारा उसी प्रकार की जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक होगी।	सदस्यों से स्थाई या चालू जमाओं की राशि, ऐसी ब्याज दर और अवधि के लिए प्राप्त की जा सकेगी जो कि प्रबन्धकारिणी के द्वारा तय की जावे, किन्तु स्थाई एवं बचत जमाओं पर दिये जाने वाले ब्याज की दर बैंको द्वारा उसी प्रकार की जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर से एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
3.3(बी)3	यदि उसने पिछले विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष सोसाइटी को 300 लीटर दूध एवं 180 दिन दूध नहीं दिया हो तो चुनाव हेतु आयोजित आमसभा में मत नहीं दे सकेगा, परन्तु वह बोनस और अन्य आर्थिक लाभ जैसे रियायती दर पर पशु आहार आदि प्राप्त करता रहेगा।	यदि उसने पिछले विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष सोसाइटी को 300 लीटर दूध एवं 180 दिन दूध नहीं दिया हो तो चुनाव हेतु आयोजित आमसभा में मत नहीं दे सकेगा, परन्तु वह बोनस और अन्य आर्थिक लाभ जैसे रियायती दर पर पशु आहार आदि प्राप्त करता रहेगा। परन्तु यदि किसी सदस्य को सदस्यता ग्रहण किये पांच वर्ष का समय नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा समिति को दूध सप्लाई करने संबंधी शर्त हेतु पांच वर्ष के स्थान पर उसके द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् के पूर्ण वित्तीय वर्षों की गणना की जावेगी।
7.2.4(1)	सदस्यों को उनके द्वारा समिति के साथ व माध्यम से किये गये व्यापार के अनुपात में 5 प्रतिशत की राशि बोनस के रूप में देय होगी, जो अधिनियम व नियमों में अंकित प्रावधानों के अनुसार होगी।	सदस्यो को उनके द्वारा समिति के साथ व माध्यम से किये गये व्यापार के अनुपात में 25 प्रतिशत तक की राशि बोनस के रूप में देय होगी, जो अधिनियम व नियमों में अंकित प्रावधानों के अनुसार होगी।

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा प्रस्तावित गौपालक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के उपनियम उक्त संशोधनों के साथ अनुमोदित किये गये हैं।

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(लीला पुरूषोत्तम)
संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम)

उप नियम

.....................................गौ–दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी लि. ....

1. प्रस्तावना :

1.1 इस सोसायटी का नाम .... गौ–दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी लिमिटेड .... होगा और इस सोसायटी का रजिस्टर्ड (पंजीकृत) किया हुआ पता . ... होगा।

1.2 कार्यक्षेत्र :

सोसायटी .... का .... कार्यक्षेत्र .... ग्रामों तक सीमित होगा। कार्यक्षेत्र में किसी प्रकार का परिवर्तन उपनियमों में संशोधन द्वारा किया जा सकेगा।

1.4 सोसायटी के निम्न उद्‌देश्य होंगेः–

1.3.1 शुद्ध एवं गुणात्मक गौ–दुग्ध उत्पादन हेतु आवश्यक गतिविधियां अपनाना तथा गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु आवश्यक गतिविधियां चालू करना तथा सदस्यों को उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वांछित मार्गदर्शन व सहायता देना।

1.3.2 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के माध्यम से गौ–दुग्ध के लाभप्रद विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

1.3.3 गायों की नस्ल सुधार व स्वास्थ्य हेतु गौपालन व डेयरी विकास/प्रसार कार्य करना।

1.3.4 संतुलित पशु आहार प्राप्त कर उपलब्ध करवाना तथा गायों के लिये उन्नत चारा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक गतिविधियां अपनाना।

1.3.5 गायों का बीमा करवाना।

1.3.6 उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक पूंजी का प्रबन्ध करना।

1.3.7 उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसे सम्बन्धित कार्य करना, जिससे गौपालकों का चंहुमुखी विकास किया जा सकें।

2. निधियां :

2.1 सोसायटी की निधियां निम्न प्रकार से निर्मित होगी–

2.1.1 हिस्सा राशि द्वारा

2.1.2 सदस्यों से अमानतें प्राप्त कर

2.1.3 ऋण प्राप्त करके।

2.1.4 दान/चन्दा/अनुदान

2.1.5 प्रवेश शुल्क

2.2 सोसायटी की कुल अंश पूंजी 1,00,000/– रूपये से अधिक नहीं होगी परन्तु रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा। एक हिस्से का मूल्य 100 रूपये होगा, जिसकी पूरी राशि आवेदन पत्र के साथ जमा करानी होगी।

2.3.1 सदस्यों से स्थाई या चालू जमाओं की राशि ऐसी ब्याज दर और अवधि के लिए प्राप्त की जा सकेगी, जो प्रबन्धकारिणी के द्वारा तय की जावे, किन्तु स्थाई एवं बचत जमाओं पर दिये जाने वाले ब्याज की दर बैंको द्वारा उसी प्रकार की जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर से एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

2.3.2 ऋण एवं जमाओं की कुल राशि, कुल अंश पूंजी, एकत्रित आरक्षित निधि और भवन निधि जिसमें से एकत्रित हानि कम कर, की दस गुना से अधिक नहीं होगी।

2.3.3 सोसायटी के निधियों का जब उपयोग नहीं होगा, उस अवस्था में इन निधियों का राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 49 एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत विनियोजन किया जावेगा।

नोट– निर्मित भवन/दुग्ध संकलन केन्द्र/कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, जिसका निर्माण होने वाला हो आदि सोसायटी की परिसम्पतियों में होंगे।

3. सदस्यता :

3.1 कोई भी गौ–दुग्ध उत्पादक सोसायटी का सदस्य बनने की योग्यता रखेगा यदिः

3.1.1 वह सोसाइटी कार्यक्षेत्र का नियमित निवासी है और उसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो तथा संविदा करने में सक्षम हो।

3.1.2 यदि उसका सदस्यता के लिए निर्धारित प्रारूप में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया हो, जिसे समिति द्वारा अस्वीकृत नहीं कर दिया गया हो,

3.1.3 वह दुग्ध उत्पादन के लिये गाय रखता हो तथा उसने अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तक, नाम मात्र सदस्य के रूप में लगातार तीन माह तक सोसायटी को गौ–दुग्ध दिया हो।

3.1.4 वह गौ–दुग्ध और गौ–दुग्ध से निर्मित वस्तुओं का स्वतंत्र व्यवसाय नहीं करता हो।

3.1.5 उसने कम से कम एक अंश खरीद लिया हो तथा दस रूपया प्रवेश शुल्क का जमा करा दिया हो।

3.1.6 उसने सोसायटी को गौ–दुग्ध देने का प्रतिज्ञा पत्र भरकर दे दिया हो।

3.1.7 वह दिवालिया नहीं हो या सदस्यता सम्बन्धी अन्य विधिक निर्योग्यता नहीं रखता हो।

3.1.8 वह नैतिक प्रकरण में आपराधिक रूप से दण्डित नहीं हो।

3.1.9 वह एक से अधिक गौ–दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटी का वर्तमान में सदस्य नहीं हो।

3.2 एक व्यक्ति जो पैरा 3.1 में वर्णित योग्यताएं रखता हो, उसके द्वारा दस रूपया भुगतान करने पर उसे नाममात्र (नामिनल) के सदस्य के रूप में लिया जा सकता है। नॉमिनल सदस्य को मत देने व सोसायटी के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

नोट : जिन व्यक्तियों ने सोसायटी के पंजीयन के मूल आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये हों वे उपनियम संख्या 3.1. (2) के प्रावधान से मुक्त होंगे। एक मनोनीत व्यक्ति जिसे कि किसी अंशधारी ने सोसायटी का अंश और/या हित उसकी मृत्यु के पश्चात् या उसको विधिक उत्तराधिकारी को प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया हो, वह उपनियम संख्या 3.1 (4) से मुक्त होगा किन्तु शर्त यह है कि सोसायटी ने सदस्यता के लिये उसके आवेदन पत्र को अस्वीकृत न कर दिया हो।

3.3 (ए) सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गये हिस्सों के मूल्य के पांच गुणा तक सीमित होगा।

3.3 (बी) कोई भी सदस्य अपने अधिकार का प्रयोग निम्न अवस्था में नहीं कर सकेगा –

3.3 (बी) 1. कोई भी सदस्य किसी निर्वाचन के लिये आयोजित बैठक में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह ऐसी बैठक की तारीख से 30 दिवस के पूर्व की तारीख को ऋण/बकाया चुकाने का दोषी है तथा जिसके विरूद्ध धारा 99 के तहत आदेश जारी कर दिये गये हैं।

3.3 (बी) 2. यदि उसने सदस्यता के लिए उपनियम 3.1 में वर्णित कोई भी योग्यता खो दी हो।

3.3 (बी) 3. यदि उसने पिछले विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष सोसायटी को 300 लीटर दूध एवं 180 दिन दूध नहीं दिया हो तो चुनाव हेतु आयोजित आम सभा में मत नहीं दे सकेगा परन्तु वह बोनस और अन्य आर्थिक लाभ जैसे रियायती दर पर पशु आहार आदि प्राप्त करता रहेगा। परन्तु यदि किसी सदस्य को सदस्यता ग्रहण किये पांच वर्ष का समय नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा समिति को दूध सप्लाई करने संबंधी शर्त हेतु पांच वर्ष के स्थान पर उसके द्वारा सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् के पूर्ण वित्तीय वर्षों की गणना की जावेगी।

3.4 कोई भी सदस्य सोसायटी से कभी भी अपना त्याग पत्र प्रबन्धकारिणी को प्रस्तुत कर एवं स्वीकृत करवा के पृथक हो सकता है परन्तु यदि वह ऋणी है या अन्य किसी सदस्य का जमानती है तो ऐसी स्वीकृति नहीं दी जावेगी। ऐसी अवस्था में जबकि सदस्य की ओर से कोई अग्रिम बकाया नहीं है और वह किसी अन्य सदस्य का जमानती नहीं है, तो त्याग पत्र के एक माह के पश्चात् त्याग पत्र स्वीकृत समझा जावेगा चाहे प्रबन्धकारिणी ने उसे स्वीकृत ही नहीं किया हो।

3.5 सोसायटी का कोई सदस्य तत्प्रयोजनार्थ आयोजित सामान्य सभा की विशेष संकल्प द्वारा निम्नलिखित कारणों से सदस्यता से निकाला जा सकेगा :–

3.5.1 यदि वह आदतन ऋण न चुकाने का 3 माह से अधिक का दोषी रहता हो।

3.5.2 मिथ्या स्वैच्छिक अभिकथनों के द्वारा सोसायटी को धोखा देता हो।

3.5.3 यदि वह स्वेच्छापूर्वक ऐसा कोई कृत्य करता है जो कि सोसायटी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता हो।

3.5.4 यह वह लगातार प्रबन्धकारिणी समिति के सुझावों और प्रस्तावों की अपकारिता करता है।

3.5.5 यदि वह दूध देने वाली गाय रखता है और दूध को किसी अन्य पक्ष को बेचता है या वह दूध और दूध से बने पदार्थों का खरीद–फरोख्त करता है।

3.5.6 यदि वह नियमित रूप से सोसायटी के कार्यक्षेत्र में नहीं रहता है तथा सदस्य बनने की कोई भी एक योग्यता खो देता है।

परन्तु किसी सदस्य को हटाने से पूर्व उसे सामान्य सभा के समक्ष अपने मामले को रखने का अवसर दिया जावेगा ओर सामान्य सभा का उक्त प्रस्ताव, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 16 एवं तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही प्रभावशाली होगा।

3.5.7 यदि वह सोसायटी को वर्ष में 300 लीटर दूध एवं 180 दिन दूध नहीं देता हो।

3.6.1 निम्नलिखित किसी एक भी कारणों से किसी व्यक्ति की सदस्यता निवृत समझी जावेगी, परन्तु सम्बद्ध सदस्य या उसके मनोनीत व्यक्ति को उक्त निर्णय से 15 दिवस के अन्दर सूचित कर दिया जावेगा।

(क) मृत्यु होने पर

(ख) यदि उसका त्याग पत्र प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा स्वीकृत कर लिया जावे।

(ग) यदि उसे सोसायटी के उपनियम संख्या 3.5 के अनुसार हटा दिया जावे।

(घ) यदि उसे राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 18 के अनुसार हटा दिया जाये।

3.6.2 यदि कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रहता है, तो सोसायटी उसकी समस्त बकाया 2 वर्ष बाद लौटा देगी।

3.7 अंश के लिए आवेदन लिखित में होगा और प्रबन्धकारिणी के द्वारा उसे निपटारा जावेगा।

3.8 हिस्सा प्रमाण पत्र जिन पर कि अलग–अलग अनुक्रमांक होंगे, प्रत्येक पूर्ण हिस्सा धारक को जारी किये जावेंगे। प्रबन्धकारिणी समिति के निर्देशानुसार, यदि कोई हिस्सा धारक हिस्सा राशि/किश्त देने में असफल रहता है तो ऐसे हिस्सा/हिस्सों को जैसा कि प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा निर्णित किया जावेगा, जब्त कर लिया जावेगा और जब्त की गई ऐसी हिस्सा राशि आरक्षित निधि में जमा कर दी जावेगी तथापि ऐसे हिस्सों को जब्त करने से पूर्व हिस्सा धारक को लिखित में 15 दिन पूर्व सूचित करना होगा।

3.9 एक सदस्य, जिसने कि एक वर्ष से हिस्से खरीद रखे हैं, प्रबन्धकारिणी समिति की अनुमति से अपने हिस्सा/हिस्सों को दूसरे सदस्य/सदस्यों को हस्तान्तरित कर सकेगा परन्तु इस हेतु उसे 15 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र में क्रेता की स्वीकृति दर्शाते हुए आवेदन करना होगा हिस्सा हस्तान्तरण तब तक पूर्ण नहीं माना जावेगा जब तक कि हस्तान्तरण

शुल्क एक रूपया सोसायटी को भुगतान नहीं कर दिया जाता और हिस्सा हस्तान्तरण रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि नहीं कर ली जाती है।

3.10 उपनियम संख्या 3.5 के अनुसरण में हटाये गये सदस्यों के हिस्सा/हिस्से, सामान्य सभा के प्रस्ताव द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 एवं सहकारी नियमों के प्रावधान के अनुसार जब्त किये जा सकेंगे।

3.11 कोई भी सदस्य दो वर्ष पूर्ण करने व हिस्सा रखने के पश्चात् अपने हिस्सा/हिस्से की मूल्य राशि वापस प्राप्त करने का अधिकारी होगा, परन्तु ऐसी मांग से पूर्व उसे सोसायटी को 3 माह का पूर्व नोटिस देना होगा। तथापि वर्ष में लौटाये जाने वाली कुल हिस्सा राशि, कुल दत्त हिस्सा राशि, जो कि पूर्व वर्ष 30 जून को होगी, 1/10 से ज्यादा नहीं होगी।

3.12 कोई भी सदस्य, सोसायटी की कुल हिस्सा राशि के 1/5 भाग या 5000/— से अधिक के हिस्से, जो भी कम हो, से अधिक नहीं खरीद सकेगा।

3.13 सोसायटी का कोई भी सदस्य अपनी मृत्युपरान्त सोसायटी के कर्मचारी या अधिकारी को छोड़कर, किसी भी व्यक्ति को अपना हिस्सा, हित या अन्य कोई बकाया प्राप्त करने के लिये मनोनीत कर सकेगा। इस प्रकार के मनोनयन के लिए प्रथम बार कोई फीस नहीं ली जावेगी, परन्तु तदुपरान्त मनोनयन के स्थानान्तरण या परिवर्तन के लिए एक रूपया फीस ली जावेगी। ऐसे मनोनयन पत्र दो साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जावेगा।

3.14 किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसका सोसायटी की ओर बकाया हिस्सा या आदेश की राशि, जो उसके उत्तरदायित्वों की कटौतियों के अधीन होगी, को उसके द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी को जिसे की प्रबन्धकारिणी समिति मृतक सदस्य का उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि समझे, क्षतिपूर्ति का प्रलेख करते हुए, नियमानुसार भुगतान कर सकेगा। स्थाई निवेशों/एफ.डी. की राशि ऐसे मामलों में समयावधि समाप्त होने के उपरान्त भुगतान की जावेगी।

4. साधारण सभा

4.1 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 नियम व उपनियमों के अधीन रहते हुए सोसायटी की सर्वोच्च सत्ता साधारण सभा में निहित होगी जो समस्त सदस्यों से निर्मित होगी। प्रथम साधारण सभा की वही शक्तियां होगी जो कि यहां नीचे वार्षिक साधारण सभा को दी गई है।

4.2 प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति से 6 माह की कालावधि के भीतर–भीतर साधारण सभा आयोजित की जावेगी, जो वार्षिक सामान्य बैठक कहलायेगी।

4.2.1 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक के अध्यक्ष का चुनाव करना एवं पिछली साधारण सभा की कार्यवाही की पुष्टि करना।

4.2.2 प्रबन्धकारिणी समिति से सोसायटी के पूर्व वर्ष के कार्यों का प्रतिवेदन प्राप्त करना, जिसमें सोसायटी का व्यापार खाता, लाभ–हानि खाता एवं वर्ष के सन्तुलन चित्र शामिल हों तथा लाभ का निर्धारण एवं बंटवारा स्वीकृत करना।

4.2.3 प्रबन्धकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन करना।

4.2.4 वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित कार्य होंगे :–

रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित पैनल में से अंकेक्षक (ऑडिटर) की नियुक्ति करना।

4.2.5 ऑडिट रिपोर्ट तथा वार्षिक ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट को स्वीकृत व अनुमोदित करना, रिपोर्ट पर विचार करना तथा पंजीयक, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जिला सहकारी बैंक से प्राप्त पत्राचारों पर विचार करना एवं आवश्यक निर्णय लेना।

4.2.6 उपनियम संख्या 2.3 (2) के तहत निर्मित होने वाले फण्ड की सीमा निर्धारित करना।

4.2.7 संघ के आदेशानुसार दुग्ध संकलन एवं परिवहन की व्यवस्था हेतु आवश्यक इन्तजामात करना।

4.2.8 सोसायटी के उपनियमों एवं नियमों के अन्दर आवश्यक संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन, परिमार्जन, पृथक्करण इत्यादि करना (यदि आवश्यक हो)।

4.2.9 अन्य कोई प्रस्तुत युक्तियुक्त कार्य का निपटारा करना। साधारण सभा की कार्यवाही नियमानुसार साधारण सभा की कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जावेगी।

4.3 सोसायटी की विशेष साधारण सभा, किसी भी समय प्रबन्धकारिणी समिति के बहुमत से, 1/5 सदस्यों, या 50 सदस्यों जो भी कम हो, के अभ्यावेदन पर या जिला पंजीयक के निर्देश पर या दुग्ध संघ के संचालक मण्डल के अभ्यावेदन पर बुलाई जा सकेगी। यह अध्यक्ष का उत्तरदायित्व (कर्तव्य) होगा कि वह इस प्रकार के अभ्यावेदन के प्राप्त होने के एक माह के अन्दर, इस प्रकार की बैठक आयोजित करवायें। जिन विषयों के लिए विशेष साधारण सभा बुलाई जावेगी, उनके अलावा अन्य किसी विषय पर विचार नहीं होगा।

4.4 वार्षिक साधारण सभा की स्थिति में 10 दिन का एवं विशेष साधारण सभा की स्थिति में 7 दिन का लिखित नोटिस, सोसायटी के कार्यालय के बाहर एवं किसी सुविधाजनक स्पष्ट स्थान पर, जो कि सोसायटी के क्षेत्राधिकार में हो, लगाया जावेगा। (प्रकाशित किया जावेगा) नोटिस में तिथि, समय, बैठक के लिये निर्धारित स्थान एवं विषय की प्रकृति का उल्लेख होगा।

4.5 उन दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति से, जो साधारण सभा की बैठक में उपस्थित हों, कोई भी सदस्य, किसी भी ऐसे विषय का, जिसका उल्लेख नोटिस में नहीं हो, कोई भी प्रस्ताव ला सकेगा परन्तु शर्त यह है कि वह ऐसा प्रस्ताव, किसी दूसरे सदस्य के पृथकत्व या उपनियमों में संशोधन हेतु नहीं रख सकेगा।

4.6 कुल सदस्यों का 2/5 या 20 सदस्य, जो भी कम हो, साधारण सभा का कोरम होगा। यदि साधारण सभा के दिन कोई कोरम नहीं है, तो बैठक उसी दिन अन्य समय के लिये यदि इसका उल्लेख नोटिस में पहले से किया हो या अन्य दिन व समय पर जो 7 दिवस से पूर्व एवं 15 दिन से अधिक न हो, के लिए स्थगित की जा सकेगी। स्थगित साधारण सभा में कोरम पूर्ण होने की अनिवार्यता नहीं होगी। स्थगित साधारण सभा का नोटिस सोसायटी के कार्यालय के बाहर दिनांक, निर्धारित स्थान व समय का उल्लेख करते हुए लगाया जावेगा। यदि साधारण सभा के दिन, विषय कार्य–सूची के सभी विषय पूर्ण नहीं होते हैं, तो बचे हुए विषय, किसी दूसरे दिन के लिए स्थगित किये जावेंगे।

4.7 समस्त साधारण सभाओं के लिये यदि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं हो तो, उपस्थित सदस्यों में से बैठक के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जावेगा।

4.8 प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार होगा। किसी बिन्दु पर टाई की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

4.9 वार्षिक साधारण सभा में पारित प्रस्ताव को छः माह की अवधि के अन्दर परिवर्तित या रद्द नहीं किया जा सकेगा। परन्तु यदि प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्य इस मत के हों कि कोई विशिष्ट प्रस्ताव सोसायटी के हित में परिवर्तित/संशोधित किया जाना आवश्यक है और यदि रजिस्ट्रार उक्त मत परिवर्तन से सहमत हों, तो प्रबन्धकारिणी छः माह के अन्दर विशेष साधारण सभा एतद् सम्बन्धी कार्य के लिए बुला सकती है।

5. प्रबन्धकारिणी समिति

5.1 (अ) प्रबन्धकारिणी का गठन निम्न प्रकार होगा –

1. निर्वाचित प्रतिनिधि – 12

निर्वाचित प्रतिनिधियों में से यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग या प्रवर्ग के सदस्य हो तो एक स्थान अनुसूचित जाति, एक स्थान अनुसूचित जनजाति एवं दो स्थान महिला वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। किसी भी प्रकार आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार नाम–निर्देशक से की जावेगी, यदि संचालक मण्डल की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम हो किन्तु यदि मूल पदावधि आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नाम–निर्देशक या यथास्थिति सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पदधारण करेगा।

संचालक मण्डल में सदस्यों की अधिकतम संख्या 21 हो सकेगी, जिन्हे मत देने का अधिकार होगा। इसके अतिरिक्त सोसायटी बैंककारी, प्रबन्धन और वित्त क्षेत्र में अनुभव रखने वाले या सहकारी सोसायटी के उद्देश्यों और उसके द्वारा किये जाने वाले क्रियाकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकतम दो सदस्यों को सोसायटी में सहयोजित कर सकेगी, जिन्हे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(ब) प्रबन्धकारिणी समिति के लिये गणपूर्ति समिति के, भरे हुए कुल सदस्यों की आधी से अधिक पर होगी, किन्तु किसी भी स्थिति में गणपूर्ति 6 से कम नहीं होगी।

(स) प्रबन्धकारिणी समिति के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से पांच वर्ष का होगा।

5.2 निम्नलिखित योग्यता रखने वाले सदस्य ही, चुनाव या प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य के रूप में रहने की योग्यता रखेंगेः–

5.2.1 यदि वह सोसायटी के बकाया का तीन माह से अधिक का दोषी नहीं हो।

5.2.2 यदि उसका सोसायटी के चालू अनुबन्धों में, या सोसायटी के द्वारा क्रय एवं विक्रय या सोसायटी के द्वारा किये जाने वाले व्यवहारों में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं हो (उसके द्वारा सोसायटी पर किये गये खर्चों को छोड़कर)।

5.2.3 यदि उसे किसी विधिक प्रक्रिया द्वारा निर्योग्य घोषित नहीं किया गया हो और किसी धन के दुर्विनियोग में दण्डित न किया गया हो या सोसायटी या किसी अन्य संस्था में कुप्रबन्ध का दोषी नहीं हो।

5.2.4 यदि उसे किसी अन्य सोसायटी के किसी उत्तरदायित्वों के लिये सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 57 व 109 के तहत दोषी नहीं पाया गया है।

5.2.5 यदि वह सरकारी कर्मचारी, इस सोसायटी या अन्य किसी सहकारी सोसायटी का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है और इस सोसायटी के किसी वेतनभोगी कर्मचारी का सम्बन्धी नहीं है।

5.2.6 यदि वह या उसके संयुक्त परिवार का कोई सदस्य सोसायटी के द्वारा किये जा रहे व्यवसाय को नहीं करता है (इसमें संविदा और उप संविदा भी सम्मिलित है) और न ही उसका इस प्रकार के निकायों से कोई साझेदारी हित है।

5.2.7 यदि उसके पास कोई गाय है और उसने पूर्व सहकारी वर्ष में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सोसायटी के माध्यम से दूध बेचा है।

5.2.8 यदि सोसायटी के द्वारा पिछले तीन सहकारी वर्षों में उसके विरूद्ध सोसायटी की बकाया को वसूल करने में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है।

5.2.9 यदि उसने पिछले तीन सहकारी वर्षों में समिति के वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं किया है।

5.2.10 यदि उसने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 109 के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया है।

5.2.11 यदि उसमें राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 28 में वर्णित अयोग्यताऐं नहीं हों।

5.2.12 यदि सदस्य द्वारा प्रतिवर्ष 180 दिन दूध व 300 लीटर दूध दिया हो।

निम्नलिखित कारणों से प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी–

5.3.1 अपना त्यागपत्र प्रस्तुत एवं प्रबन्धकारिणी समिति से स्वीकृत करवा के।

5.3.2 जबकि वह मृत्यु या अन्य किसी कारण से सोसायटी की सदस्यता खो देता है।

5.3.3 जबकि वह प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य के रूप में अपेक्षित योग्यता खो देता है।

5.3.4 यदि प्रबन्धकारिणी का कोई निर्वाचित सदस्य अपने आप को प्रबन्धकारिणी की तीन लगातार बैठकों में बिना किसी पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रखेगा तो उसकी प्रबन्धकारिणी से सदस्यता स्वतः समाप्त हो जावेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति को इस बारे में अपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा और यह प्रस्ताव ऐसे नोट (प्रस्ताव) लिये जाने की तारीख से प्रभावी होगा। यह प्रबन्धकारिणी समिति का कर्तव्य होगा कि वह सम्बद्ध सदस्य को उक्त प्रस्ताव के बारे में विस्तार से सूचित करें। सूचना सोसायटी के सूचना पट्‌ट पर लगाये जाने पर भी, तामील मानी जावेगी।

5.3.5 यदि सोसायटी में संकलित किये जाने वाले एवं सोसायटी द्वारा जिला दुग्ध संघ को आपूर्ति किये जाने वाले दूध में किसी प्रकार की मिलावट पाई जाती है, अथवा ऐसा दूध इस हेतु निर्धारित मानक, यदि कोई हो, के अनुरूप नहीं पाया जाता है अथवा ऐसे दूध में खाद्य पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना किया जाना पाया जाता है तो प्रबन्धकारिणी समिति के समस्त सदस्य अपने पद पर बने रहने के लिये निर्योग्य समझे जायेंगे।

5.4.1 प्रबन्धकारिणी समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, जिसकी अवधि प्रबन्धकारिणी समिति की अवधि के समानान्तर होगी। अध्यक्ष का पद किसी कारण से रिक्त हो जाने पर रिक्त स्थान की पूर्ति अधिनियम की धारा–27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी।

5.4.2 अध्यक्ष समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, जबकि वह उपस्थित है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति की स्थिति में, उपाध्यक्ष सोसायटी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उपाध्यक्ष की भी अनुपस्थिति की स्थिति में उपस्थित सदस्य दूसरे सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने हेतु चुन सकेंगे।

5.4.3 समिति अपने निर्णय बहुमत के आधार पर लेगी। किसी विषय पर बराबर मत हों, तो बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष को सामान्य मत के अलावा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

5.5 समिति उतनी बार, जितनी की सोसायटी के व्यवसाय के संव्यवहारों हेतु आवश्यक हो, बैठक बुला सकेगी परन्तु उसे एक माह में कम से कम एक बार बैठक बुलानी आवश्यक होगी। यदि सम्भव हो तो मीटिंग का दिनांक व समय निर्धारित कर लिया जावे, ताकि समस्त सदस्यों को पूर्व से ही जानकारी रहे।

5.6 वैयक्तिक हित के मामलों में कोई सदस्य न तो बैठक में उपस्थित ही रहेगा और न ही उसे मत देने का अधिकार होगा। परन्तु यदि ऐसा कोई निर्णय, जो सम्बद्ध व्यक्ति के हित के विरूद्ध हो, लिया जाता है, तो उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर देय होगा।

5.7 वर्ष के दौरान मृत्यु या किसी अन्य कारण से उत्पन्न प्रबन्धकारिणी समिति की आकस्मिक रिक्तियां प्रबन्धकारिणी समिति के द्वारा अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानों के अनुसार भरी जायेगी।

5.8 प्रबन्धकारिणी समिति के एवं अन्य किसी व्यक्ति के जो कि प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य के रूप में कृत्य कर रहा है, के द्वारा किये गये कार्य, इस बात के होते हुए भी कि तदुपरान्त समिति या व्यक्ति को नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ खामियां पाई गई है, इस प्रकार मान्य समझे जावेंगे कि समिति या व्यक्ति विधिवत नियुक्त हुये थे।

5.9 प्रबन्धकारिणी समिति के समस्त निर्णय पृथक मिनिट बुक में लिखे जावेंगे, जिसमें बैठक की कार्यवाही एवं उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे।

5.10 यदि पंजीयक, सोसायटी में गम्भीर कुप्रबन्ध पाता है, तो वह प्रबन्धकारिणी समिति को भंग कर सकेगा एवं उसके स्थान पर प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगा।

5.11 प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, उपनियमों में पूर्वतः विहित के अलावा निम्न प्रकार होंगे :—

5.11.1 पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करना।

5.11.2 सदस्यता के लिये आवेदन पत्रों, त्याग पत्रों हिस्से की मांगो, हिस्से के हस्तान्तरण एवं हिस्सों को लौटाने सम्बन्धी मामलों का निपटारा करना तथा अदत्त हिस्सों की किश्तों की वसूली हेतु आवश्यक कदम उठाना।

5.11.3 सोसायटी के कार्य हेतु आवश्यक कोष बढ़ाना, जमा प्राप्त करने की शर्तों का निर्धारण करना राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 49 के तहत अधिक कोष का विनियोजन करना।

5.11.4 सहकारी बैंको में सोसायटी के नाम में आवश्यक खाते खोलना एवं संव्यवहार हेतु आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करना।

5.11.5 उन सहकारी संस्थाओं में जिनमें कि सोसायटी सम्बद्ध है, जब भी आवश्यक हो, प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करना।

5.11.6 सदस्यता पंजिका, रजिस्टर, लेखा पुस्तकों एवं अन्य पंजिकाओं को सत्यापित करना एवं उपर्युक्त को पूर्णतः एवं व्यवस्थित तरीके से लिखने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

5.11.7 सोसायटी के लेखों का निरीक्षण करना, रोकड़ बही का भौतिक सत्यापन करना एवं अध्यक्ष या अन्य किसी प्रबन्धकारिणी–सदस्य को रोकड़ बही पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करना।

5.11.8 साधारण सभा का दिनांक, समय, स्थान एवं एजेण्डा का निर्धारण करना, राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 26 के तहत विशेष साधारण सभा बुलाने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना तथा यह देखना कि वार्षिक साधारण सभा निर्धारित समय सीमा के अन्दर होती है या नहीं।

5.11.9 वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे समय पर तैयार करना तथा अध्यक्ष अथवा प्रबन्धकारिणी के किसी सदस्य को उन्हे प्रकाशित करवाने हेतु अधिकृत करना, लाभ को बंटवाने हेतु साधारण सभा को संस्तुति देना।

5.11.10 दावों को देखना, विधिक दावों में पैरवी व समझौता करना तथा शिकायतों को सुनना तथा निपटाना।

5.11.11 सोसायटी के कार्यालय हेतु साधारण सभा व रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से गोदाम क्रय करना व निर्माण करवाना। माल रखने हेतु/विक्रय हेतु गोदाम/बिक्री केन्द्र किराये पर लेने के प्रबन्धकारिणी की स्वीकृति पर्याप्त होगी।

5.11.12 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम तथा उपनियमों के अनुकूल रहते हुए, सोसायटी के सफल संचालन के लिये प्रशासनिक नियम बनाना एवं उनके बारे में साधारण सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव तैयार करना। ऐसे प्रस्ताव सोसायटी की कार्यवाही पुस्तिका (मिनिट बुक) में अंकित किये जावेंगे तथा ये साधारण सभा की स्वीकृति के उपरान्त ही प्रभावकारी होंगे।

5.11.13 सहकारी विभाग/डेयरी फैडरेशन व जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा मांगे गये समस्त अभिकथनों एवं आवश्यक सूचनाओं को समय पर भेजना।

5.11.14 सोसायटी के अंकेक्षण प्रतिवेदन को लेना एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिये गये निर्देशों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करना। अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शित दोषों को सुधारना तथा प्रतिवेदन मिलने के एक माह के अन्दर आक्षेप पूर्ति प्रतिवेदन पठाना। उपर्युक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन आगामी साधारण सभा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जावेगा। अंकेक्षको

एवं अंकेक्षण विभाग के अन्य अधिकारियों, बैंको, संघ एवं डेयरी फैडरेशन के अधिकृत अधिकारियों को आडिट या जांच से सम्बन्धित आवश्यक सुविधाएं, सूचनाएं एवं अभिकथन देना।

5.11.15 साधारण सभा को, उपनियमों में तथा समिति के नियमों में संशोधन, परिवर्धन, परिवर्तन तथा रद्दीकरण हेतु संस्तुति देना।

5.11.16 सोसायटी के सचिव से सोसायटी के लेखो का यथा व्यापार खाता, हानि–लाभ खाता, गुड्स स्टाक इत्यादि का मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करना एवं निरीक्षण करना तथा अनुमोदन हेतु लेना तथा बजट की सीमा (साधारण सभा द्वारा अनुमोदित) में किये गये खर्चों को अनुमोदित करना।

5.11.17 सोसायटी के रिकार्ड, गुड्स के स्टाक व इक्वीपमेन्ट आदि को रखने के लिए व्यक्ति विशेष का विशिष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

5.11.18 धन एवं अन्य वस्तुओं की हानि (किसी भी कारण से) की सुरक्षा हेतु उचित दर पर पैकेज बीमा पालिसी लेना।

5.11.19 जिला दुग्ध उत्पादक सहाकारी संघ के निर्देशों के अनुसार दूध, घी, पशु आहार इत्यादि के क्रय/विक्रय की व्यवस्था करना तथा संघ से प्राप्त समस्त निर्देशों का पालन करना।

5.11.20 संघ के निर्देशों के अनुसार दुग्ध उत्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाना तथा गौपालन की वृद्धि एवं नस्ल सुधार सम्बन्धी आवश्यक गतिविधियां अपनाना।

5.11.21 उन विवादों का निपटारा करना, जिन्हे अध्यक्ष के द्वारा नहीं निपटाया गया है।

5.11.22 सोसायटी के सचिव एवं अन्य सभी वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्त करना, उन्हे कार्य मुक्त करना या सेवा मुक्त करना या उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना (यदि आवश्यक हो) प्रशिक्षित सचिव को सेवा मुक्त करने से पूर्व प्रबन्ध संचालक सम्बन्धित दुग्ध उत्पादक संघ से परामर्श किया जावेगा।

5.11.22 (अ) रजिस्ट्रार की पूर्व स्वीकृति से सोसायटी के समस्त वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन श्रृंखला, सेवा शर्तें एवं योग्यताएं निर्धारित करना तथा उनके कर्त्तव्य अधिकार व उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

(ब) सोसायटी के समस्त कर्मचारियों से व्यक्तिगत एवं फिडीलिटी अनुबन्ध पत्र लेना तथा उन अनुबन्ध पत्रों को जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक में सुरक्षार्थ रखना तथा उसकी

रसीद प्राप्त करना। प्रतिवर्ष यह पुष्टि करना कि कर्मचारी की सिक्योरिटी (प्रतिभूति) देने वाले जीवित है तथा इसे सोसायटी की कार्यवाही में लेना।

(स) सोसायटी के कर्मचारियों के प्रोवीडेन्ट फण्ड नियमों को प्रारूपित करना तथा उन्हें साधारण सभा व रजिस्ट्रार की अनुमति के उपरान्त कार्यान्वित करना।

(द) यह सुनिश्चित किया जाना कि सोसायटी में संकलित किये गये एवं सोसायटी द्वारा जिला दुग्ध संघ को आपूर्ति किये जाने वाला दूध किसी भी प्रकार की मिलावट से रहित हों तथा इस हेतु निर्धारित मानक, यदि कोई हो, के अनुरूप हो तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना कि समिति स्तर पर पदार्थ अपमिश्रण निवारण अधिनियम का व्यतिक्रम ना हो।

5.11.23 (अ) प्रबन्धकारिणी समिति, किसी व्यक्ति को, जिसमें निम्नलिखित योग्यताऐं हो, एक कर्मचारी के रूप में उपनियमों में वर्णित, अन्य शर्तों को छोड़कर ही नियुक्त या कार्य करते रहने हेतु अधिकृत कर सकेगी :—

5.11.23 (ब) यदि वह ऐसा कोई व्यवसाय या संविदा, स्वतंत्र रूप से या साझेदारी में नहीं कर रहा है जो कि सोसायटी के उद्देश्यों से सम्बद्ध हो यथा — गौ—दुग्ध और गौ—दुग्ध से बने पदार्थ, पशु आहार का क्रय विक्रय व दुग्ध परिवहन इत्यादि।

5.11.23 (स) यदि वह कहीं वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है या किसी स्थानीय संस्था में अवैतनिक कर्मचारी नहीं है या किसी अन्य सोसायटी का कर्मचारी नहीं है।

5.11.23 (द) यदि उसे किसी नैतिक अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया है।

5.11.23 (य) यदि किसी अन्य सोसायटी में उसे दुर्विनियोग कुप्रबन्ध के लिए दोषी नहीं पाया गया है।

5.11.23 (र) यदि किसी सोसायटी का कोई कर्मचारी, किसी भी समय, नौकरी के दौरान उपर्युक्त शर्तों का पालन करता हुआ नहीं पाया जाता है, तो उसे प्रबन्धकारिणी, तुरन्त सेवामुक्त कर देगी।

5.11.24 प्रबन्धकारिणी समिति राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 49 की परिधि में रहते हुए वित्त विनियोजन कर सकेगी परन्तु ऐसा विनियोजन भवन के लिये किया जाना है तो यह रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

6. अध्यक्ष / सचिवः

6.1 अध्यक्ष के कर्तव्य, उनको, जिन्हें कि इस उपनियम में अन्यत्र वर्णित कर रखा है, के अलावा निम्नलिखित होंगे :–

6.1.1 साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा पारित प्रस्तावों को सचिव के द्वारा क्रियान्वित करवाना।

6.1.2 सचिव के दैनिक कार्य की देखभाल करना।

6.1.3 यह देखना कि प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि बैंक में जमा हो गई है। रोकड़ पोता दैनिक क्रय किये गये दूध की औसत कीमत के 4 गुना से अधिक और यदि भुगतान प्रतिदिन किया जाता है तो 2 गुना से अधिक नहीं होगा।

6.1.4 गुड्स स्टॉक, वस्तुएं/डैड स्टॉक इत्यादि की कम से कम तीन माह में एक बार सत्यापित करना, उपर्युक्त को प्रस्ताव द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक में रखवाना।

6.1.5 सोसायटी का कार्य, सहकारी समितियां अधिनियम, नियम, उपनियमों के अनुसार चलवाना।

6.1.6 अंकेक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण, मीमोज, विजिट नोट में उठाये गये आक्षेपों के समाधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।

6.1.7 सहकारी विभाग, बैंक व संघ/फैडरेशन द्वारा मांगी गई विवरणियां एवं सूचनाओं को तुरन्त प्रदान करने की व्यवस्था करना।

6.1.8 जहां तक संभव हो शिकायतों का निपटारा करना तथा अपनी टिप्पणी सहित शिकायतों को प्रबन्धकारिणी को प्रस्तुत करना।

6.1.9 उपनियमों में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक आयोजित करने की व्यवस्था करना।

6.1.10 सचिव के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाना कि सोसायटी में संकलित होने वाले एवं सोसायटी द्वारा जिला दुग्ध संघ को आपूर्ति किये जाने वाले दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो तथा इस हेतु निर्धारित मानक, यदि कोई हो, के अनुरूप हो तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना कि समिति स्तर पर प्राप्त होने एवं आपूर्ति किये जाने वाले दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट न हों तथा इस हेतु निर्धारित मानक, यदि कोई हो, के अनुरूप हो तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना कि समिति स्तर पर प्राप्त होने एवं आपूर्ति किये गये दूध में खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम का व्यतिक्रम ना हों।

6.2 सचिव के कर्त्तव्य एवं दायित्व अन्यत्र यथा लिखित उपनियमों के अलावा, निम्नलिखित होंगे :—

6.2.1 प्रबन्धकारिणी, साधारण सभा की बैठक, अध्यक्ष के निर्देशानुसार आयोजित करवाना एवं उनमें उपस्थित रहना तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाहियां, इस हेतु विहित पृथक मिनिट बुक में लिखना।

6.2.2 प्रबन्धकारिणी के निर्देशों के अनुसार धन को खर्च करना, भुगतान प्राप्त करना एवं वसूल करना।

6.2.3 सोसायटी को भेजे गये समस्त पत्राचारों व संदेशों को प्राप्त करना एवं किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रबन्धकारिणी का ध्यान आकर्षित करना।

6.2.4 समस्त प्राप्त पत्राचारों को, बिलों, वार्षिक प्रतिवेदन व्यापार खाता, हानि लाभ खातों, सन्तुलन चित्र एवं आवश्यक अभिकथन जो सोसायटी हेतु आवश्यक हो को तैयार करना तथा सहकारी विभाग, बैंक तथा दुग्ध संघ को समय—समय पर आवश्यक सूचनाऐं रिकार्ड इत्यादि भिजवाना, प्रस्तुत करना, आडिट कराना।

6.2.5 सोसायटी के दौरान प्रशासन को चलाने के लिए समस्त आवश्यक पत्राचार करना तथा सदस्यों को मांगी गई समस्त सूचनाएं देना तथा विशेष मामलों में अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से पत्राचार करना।

6.2.6 प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष बिना किसी विलम्ब के अंकेक्षण प्रतिवेदन रखना तथा प्रतिवेदन में दर्शायी गयी त्रुटियों को तुरन्त दूर करना तथा उपर्युक्त को अंकेक्षक महोदय को एक माह के अन्दर साधारण सभा से अनुमोदित करवा के प्रस्तुत करना।

6.2.7 सोसायटी के अन्य कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कार्यों पर पर्यवेक्षण व नियंत्रण करना तथा उनके कार्य के सम्बन्ध में प्रबन्धकारिणी को सूचित करना तथा प्रबन्धकारिणी के साथ सलाह मशविरे से उनके कर्त्तव्य का दायित्व निर्धारित करना।

6.2.8 रोकड़ बही एवं अन्य लेखा पुस्तकें नियमित रूप से पूरी करना, करवाना व निर्धारित सीमा में रोकड़ पोता रखना।

6.2.9 दुग्ध उत्पादकों को भुगतान हेतु निर्देशानुसार बैंक से राशि निकालना एवं स्थानीय बिक्री की राशि वसूल करना।

6.2.10 प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष मासिक व्यापार खातों, हानि लाभ खातों एवं क्रय—विक्रय के अन्य कागजातों को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना।

6.2.11 अतिरिक्त रोकड़ को बैंक में जमा करवाना।

6.2.12 उपनियमों के अधीन, सोसायटी के कार्य व्यापार को बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

6.2.13 यह देखना कि सोसायटी के बकाया की नियमित रूप से वसूली हो रही है। यदि यह संभव नहीं हो, ऐसे अपेक्षित विवरण प्रबन्धकारिणी की सलाह से तैयार करना, जिससे कि कानूनी कार्यवाही की जा सके।

6.2.14 अन्य वे समस्त कार्य, जो कि अध्यक्ष तथा प्रबन्धकारिणी के द्वारा निर्देशित किये जावें, करना।

6.2.15 **सचिव के कर्त्तव्यः**

धारा 34(1) के प्रावधानानुसार समिति और पदाधिकारियों के निर्वाचन के संचालन हेतु समिति की अवधि समाप्ति के छह मास पूर्व, निर्वाचन प्राधिकारी को लिखित सूचना भेजेगा एवं आकस्मिक रिक्तियों की सूचना भेजेगा।

6.2.16 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह की कालावधि (30 सितम्बर तक) में संघ का अंकेक्षण कार्य पूर्ण कराना। अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा उसके पालना प्रतिवेदन को साधारण सभा के समक्ष रखे जाने हेतु अनुमोदित करना।

6.3 सचिव की अनुपस्थिति में, प्रबन्धकारिणी समिति अन्य किसी व्यक्ति को सचिव को कार्य करने हेतु अधिकृत कर सकेगी। यदि ऐसी अधिकृतता किसी व्यक्ति को, प्रबन्धकारिणी द्वारा नहीं की गई है, तो ऐसा दूसरा व्यक्ति, जिसका कि वेतन सचिव से कम है, सचिव सम्बन्धी कार्य को करने हेतु उत्तरदायी होगा।

7.0 **लाभ वितरणः—**

7.1 वार्षिक साधारण सभा में सोसायटी के पूर्व वर्ष का शुद्ध लाभ निकाला जावेगा इसके लिये सकल लाभ में से निम्नलिखित कटौतियां की जावेगी।

7.1.1 ऋण एवं जमाओं पर दिया जाने वाला ब्याज

7.1.2 सोसायटी के कार्य संबंधी खर्चे

7.1.3 हानियां

7.1.4 भवन एवं परिसम्पतियों पर घिसावट

7.1.5 बट्टे खाते ऋण व बकाया जो प्रबन्धकारिणी द्वारा स्वीकृति व पंजीयक द्वारा अनुमोदित किये गये हों।

7.1.6 साधारण सभा द्वारा विभागीय अंकेक्षक नियुक्त किया गया है तो उसकी फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा। यदि चार्टेड अकाउण्टेंट/फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किया गया है तो उसकी फीस का निर्धारण साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

7.2 उपयुक्त कटौतियों के काटने के बाद बचने वाली राशि शुद्ध लाभ होगी। शुद्ध लाभ व उसका वितरण अगर रजिस्ट्रार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा घोषित कर दिया गया है तो रजिस्ट्रार की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी अन्यथा स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

7.2.1 कम से कम 25 प्रतिशत सुरक्षित कोष में जमा कराया जावेगा।

7.2.2 हिस्सा धारकों को डिविडेन्ट के रूप में शेयर का 10 प्रतिशत दिया जावेगा।

7.2.3 राजस्थान सहकारिता सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 48 के अनुसरण में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कोष में 1 प्रतिशत अंशदान दिया जायेगा।

7.2.3.1 राजस्थान सहकारिता नवीनीकरण कोष में 3 प्रतिशत एवं सुदृढ़ीकरण कोष में 2 प्रतिशत जमा कराया जावेगा।

7.2.4 उपर्युक्त कटौतियों के पश्चात् शेष लाभ निम्न प्रकार से वितरित किया जावेगा।

7.2.4 (1) सदस्यों को उनके द्वारा समिति के साथ व माध्यम से किये गये व्यापार के अनुपात में 25 प्रतिशत तक की राशि बोनस के रूप में देय होगी जो अधिनियम व नियमों में अंकित प्रावधानों के अनुसार होगी।

7.2.4 (2) 10 प्रतिशत गौ विकास कोष में।

7.2.4 (3) 10 प्रतिशत को बोनस के रूप में (स्टाफ को दिये जाने वाला बोनस प्रबन्धकारिणी द्वारा निर्धारित किया जावेगा परन्तु यह राशि प्रत्येक मामलों में कर्मचारी को दिये जाने वाले दो माह के वेतन से अधिक नहीं होगा।)

7.2.4 (4) 10 प्रतिशत सार्वजनिक कल्याण कोष

7.2.4 (5) 5 प्रतिशत सहकारी प्रचार कोष।

7.2.5 (6) शेष राशि यदि कोई हो, भवन कोष में जमा की जावेगी।

7.2.5 अगर उपयुक्त लाभ वितरण प्रक्रिया में यह आवश्यक प्रतीत होता हो कि उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये तो यह केवल एक वर्ष के लिये ही किया जा सकेगा एवं केवल साधारण सभा की स्वीकृती एवं रजिस्ट्रार के अनुमोदन से ही किया जा सकेगा।

7.2.6 प्रबन्धकारिणी उपर्युक्त फण्डों की उपयोगिता हेतु नियम बनावेंगी एवं रजिस्ट्रार की अनुमति उपरान्त ही उनका प्रयोग कर सकेगी।

7.3 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 48 के प्रावधानों के अतिरिक्त समस्त प्रवेश शुल्क, फाईन, हिस्सा स्थानान्तरण शुल्क, हिस्सा पूंजी की जब्त की गई राशि एवं दान, रिजर्व फण्ड (आरक्षित निधि) में जमा किया जावेगा।

8.0 **विविध प्रावधान :**

8.1 रजिस्ट्रार/आरसीडीएफ/संघ द्वारा निर्धारित रीति व प्रपत्रों में लेखे रिकार्ड रखे जावेंगे।

8.2 अध्यक्ष/या एक से अधिक प्रबन्धकारिणी के सदस्य एवं सचिव जैसा कि प्रबन्धकारिणी अधिकृत करें, कागजातों, अनुदान प्राप्तियां, हिस्सा प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करने, बैंक से पत्र व्यवहार करने एवं रोकड़ बही पर हस्ताक्षर करने (सोसायटी की ओर से) हेतु संयुक्त रूप से अधिकृत होंगे। जबकि सोसायटी द्वारा प्रेषित समस्त प्राप्तियां, उस व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी जिसे कि प्रबन्धकारिणी अधिकृत करें।

8.3 सोसायटी का कोई भी सदस्य, जहां तक कि उसका व्यक्तिगत व्यवसाय का सम्बन्ध है, जैसाकि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 धारा 113 में दर्शाया गया है, किसी भी रजिस्टर या रिकार्ड का सोसायटी के कार्यालय समय में निरीक्षण कर सकता है प्रबन्धकारिणी समिति कार्यालय समय का निर्धारण करेगी।

8.4 प्रत्येक सहकारी वर्ष की समाप्ति के 45 दिवस में प्रबन्धकारिणी समिति व्यापार खातों, हानि–लाभ खातों, संतुलन–चित्र का स्टेटमेंट व पूर्व वर्ष का प्रतिवेदन तैयार करेगी। इन उपर्युक्त स्टेटमेंट की एक प्रति निर्धारित अवधि में अंकेक्षक व सहकारी विभाग को प्रस्तुत कर देगी।

8.5 कोई भी दिया गया नोटिस किसी भी सदस्य को तभी सही तौर पर दिया गया माना जावेगा जबकि उसे सदस्य के पंजीकृत पते पर भेजा गया हो।

8.6 अधिनियम व नियम जो कि राज्य सरकार के द्वारा बनवाये गये हों, कि अधीन रहते हुए उपविधियों का संशोधन, सभी सदस्यों को, साधारण सभा के कम से कम 15 दिन पूर्व संशोधन हेतु नोटिस देने के उपरान्त ही किया जा सकेगा। संशोधन केवल तभी प्रभावी होगा जबकि वे पंजीयक द्वारा पंजीकृत कर लिये जावेंगे।

8.7 सोसायटी, जिला सहकारी संघ, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ एवं ऐसी अन्य सहकारी संस्थाऐं जो कि सोसायटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उपयोगी हो, सदस्य बन सकेगी।

8.8 प्रत्येक सदस्य को एक पास बुक दी जायेगी एवं सोसायटी से होने वाला समस्त संव्यवहार उसमें दर्ज किया जावेगा। यह सदस्य के उत्तरदायित्व होगा कि इसे नियमित रूप से पूर्ण करवाये।

8.9 यदि इन उपनियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में कोई मत विभिन्न सदस्यों व प्रबन्धकारिणी के बीच पैदा होता है, तो रजिस्ट्रार का निर्णय दोनों पक्षों पर अन्तिम व बाध्यकारी होगा।

8.10 सहकारिता अधिनियम व तत्सम्बन्धी नियमों के समस्त प्रावधान जो समय समय पर प्रवृत, संशोधित, परिवर्तित या परिवर्धित होंगे, सोसायटी को मान्य होंगे एवं उपविधियों के प्रावधान उनके अधीन होंगे।

8.11 सोसायटी प्रत्येक वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणीया फाईल करेगीः—

1. अपने क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट,
2. अपने लेखाओं के लेखा परीक्षित विवरण,
3. अधिशेष के व्ययन के लिए योजना के जो सोसायटी के साधारणर निकाया के द्वारा अनुमोदित हो।
4. सहकारी सोसायटी की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची,
5. साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हो, संचालन करने के बारे में घोषणा और
6. ऐसी अन्य सूचना जिसकी रजिस्ट्रार समय—समय पर अपेक्षा करें।